

आदेश - पत्रक

अनुसूचित 14-फारम नं० 562

(देखें अभिलेख 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक 237/1219
 जिला से 200

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के द्वारे में टिप्पणी तारीख सहित															
	2	3															
<p>20/04/13</p>	<p>श्री <u>मती रजनी कुमारी</u> <u>पति श्री विकास प्रसाद</u> बालक ग्राम <u>बलवापर</u> धान <u>उश्नीत</u> जिला <u>मालवा</u> के बाला नं० <u>23795</u> दिनांक <u>22/09/2011</u> के आधार पर निम्नांकित जमीन पर दाखिल खरिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">मौजा का नाम</td> <td style="width: 15%;">तोमी नं०</td> <td style="width: 15%;">खता नं०</td> <td style="width: 15%;">खसरा</td> <td style="width: 30%;">राजगी <u>100</u></td> </tr> <tr> <td><u>पहाड़ी</u></td> <td></td> <td><u>444</u></td> <td><u>1674</u></td> <td><u>2160</u></td> </tr> <tr> <td><u>धाना नं०-14</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>वर्ग फी</u></td> </tr> </table> <p>मूल आवेदन पत्र हस्ताक्षरित कर्मचारी को अचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे द। महाल पर प्रस्ताव जारी कर आपत्ति की मांग कर। अभिलेख दिनांक <u>04/05/13</u> को उपस्थित करें।</p> <p><u>MS</u> अंचल अधिकारी <u>MS</u> अंचल अधिकारी</p> <p>महाल पर ताधिला नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कर्मचारी का प्रतिवेदन अचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल खरिज करने की अनुमति किये हैं। प्रस्ताव उनके अनुमति के आधार पर दाखिल खरिज किया जाता है शुद्ध पत्र निर्गत करें।</p> <p><u>MS</u> लिखित एवं शुद्ध किया। <u>MS</u></p> <p><u>MS</u> अचल अधिकारी <u>MS</u> अचल अधिकारी</p>	मौजा का नाम	तोमी नं०	खता नं०	खसरा	राजगी <u>100</u>	<u>पहाड़ी</u>		<u>444</u>	<u>1674</u>	<u>2160</u>	<u>धाना नं०-14</u>				<u>वर्ग फी</u>	
मौजा का नाम	तोमी नं०	खता नं०	खसरा	राजगी <u>100</u>													
<u>पहाड़ी</u>		<u>444</u>	<u>1674</u>	<u>2160</u>													
<u>धाना नं०-14</u>				<u>वर्ग फी</u>													